न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 30/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. सीमादेवी पत्नी राजेश कुमार चण्डक,
2. मधुदेवी पत्नी बाबुलाल चण्डक

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीयागण

बनाम

1. इमरान पिता शाकीर खां मुसलमान
2. साहिद खां पिता शाकीर खां मुसलमान
3. अब्दुल खां पिता शाकीर खां मुसलमान
4. सलीम पिता शाकीर खां मुसलमान
5. खुशनुदा पुत्री शाकीर खां मुसलमान

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

6. विद्यासागर पिता मोतीलाल पंचौली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा।
7. हजारी पिता सुवान नीलगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा।
8. रतनलाल पिता सोहनलाल पलोड
9. गिरीराज पिता सत्यनारायण पलोड

सर्व निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 391/7733 रकबा 0.17 हे, 392/7734 रकबा 0.15 हे0 407 रकबा 0.50 हे0, 410 रकबा 0.45 हे0 410/8084 रकबा 0.01 हे0 411 रकबा 0.65 हे0 412 रकबा 0.89 हे0 भूमि कुल किता 07 कुल रकबा 2.82 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1634 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 391/7733 रकबा 0.17 हे, 392/7734 रकबा 0.15 हे0 407 रकबा 0.50 हे0, 410 रकबा 0.45 हे0 410/8084 रकबा 0.01 हे0 411 रकबा 0.65 हे0 412 रकबा 0.89 हे0 भूमि कुल किता 07 कुल रकबा 2.82 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्रमश....02

प्रकरण संख्या :– 30/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,400– (एक हजार चार सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1,400– (एक हजार चार सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)